संचिका संख्या 1790/4/23/2019

दिनांकः– 30.01.2023

प्रस्तुत संचिका आवेदिका के द्वारा उनके पति के मृत्यु बिजली के तार की चपेट में आने के कारण हो जाने की बात कहते हुए यह भी कहा गया है कि इस संबंध में अहियापुर थाना कांड संख्या–122/14 दर्ज की गई है। आवेदिका के द्वारा यह कहते हुए कि विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण दुर्घटना होने के कारण उनके पति की मृत्ये होने अतः उन्हें उचित मुआवजा दिलाये जाने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

पूर्व में मुख्य अभियंता (संचालन एवं संपो0) NBPDCL का प्रतिवेदन अन्य कागजातों के साथ प्राप्त है जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जांच से स्पष्ट है कि आवेदिका के पति के द्वारा अपने ठेले पर सीमेंट एवं छड़ उठाकर छत पर रखने के क्रम में बिजली के तार के सम्पर्क में आ जाने से फलस्वरूप करेंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। घटना के दिन उक्त स्थल पर तार टूटने की कोई घटना नहीं हुई थी तथा घटना के समय उक्त प्रशाखा की विद्युत आपूर्ति मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा संचालित थी। अतः मुआवजा राशि देय नहीं है।

इस संबंध में वरीय आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अहियापुर थाना कांड संख्या 122/14 के फर्दब्यान के आधार पर अंकित किया गया है। जो उनके भाई मृतक प्रमोद साह के विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु से संबंधित है। इस कांड में ECCEL विद्युत कम्पनी के महाप्रबंधक अमित गोन्ड एवं क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार को परिवादी द्वारा आरोपित किया गया है। तदनुसार उक्त दोनों व्यक्ति प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। इस कांड में अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी के दोनों नामजद अभियुक्त के विरुद्ध धारा–304(ए) भा0द0वि0 के अंतर्गत कांड को सत्य पाते हुए माननीय न्यायालय में आरोप–पत्र संख्या–648/2022, दिनांक–28.06.2022 समर्पित किया गया है।

पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत मुख्य अभियंता (संचालन एवं संपो0) महाप्रबंधक NBPDCL वरीय आरक्षी अधीक्षक मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति

भेजते हुए पुनः जांच करते हुए अपना स्पष्ट प्रतिवेदन आदेश प्रति के प्राप्ति के 10 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

पुनः मुख्य अभियंता (संचालन एवं संपो0) का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके द्वारा पूर्व के सदृश प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और यह कहा गया है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रमोद साह द्वारा लोहे का छड़ छत पर ले जाने के क्रम में छड़ के बिजली के तार के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप करेंट लगने से उनकी मृत्यु हो गयी। घटना के दिन उक्त स्थल पर तार टुटने की कोई घटना नहीं हुई थी तथा तार मानक उंचाई पर थी। यह घटना मृतक के स्वयं असावधानी से हुई । विद्युत विभाग का कोई दोष नहीं है। परन्तु वरीय आरक्षी अधीक्षक को इस संबंध में दायर किये गये अहियापुर थाना कांड संख्या 122/14 में महाप्रबंधक NBPDCLएवं क्षेत्रीय प्रबंधक को दोषी बताते हुए दाखिल किया गया था। जिमसें अनुसंधान उपरांत दोनों प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304(ए) भा0द0वि0 के अंतर्गत कांड सत्य पाते हुए आरोपपंत्र संख्या–648/2022, दिनांक–28.06.2022 समर्पित किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः वरीय आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका के पति के मृत्यु विद्युत विभाग के लापरवाही से हुई है। परन्तु बारबार एक ही तरह के सदृश प्रतिवेदन दाखिल करते हुए विद्युत विभाग के लापरवाही से इंकार किया जा रहा है। प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि 11 हजार बिजली का तार बहुत ही नीचा रहने के कारण मृतक के शरीर से स्पर्श कर गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका के पति के मृत्यु मृतक प्रमोद शाह के मृत्यु बिजली के तार के सम्पर्क में आने के कारण होने की बात स्पष्ट होती है।

अतः प्रबंध निदेशक NBPDCLको मृतक प्रमोद साह के निकटतम सम्बन्धी को क्षतिपूर्ति भुगतान 04 लाख रूपये की राशि दो माह के अंदर भुगतान करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 17/05/2023 को अनुपालन प्रतिवेदन एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson